NAVBHARAT TIMES, Lucknow, 13.6.2017
Page No. 19, Size:(12.95)cms X (26.02)cms.

# रिटर्न में आधार जरूरी करना भेदभाव नहीं : SC

## कोर्ट ने आईटी ऐक्ट की धारा-139 एए को उचित ठहराया है

■ एनबीटी ब्यूरो, नई दिल्ली

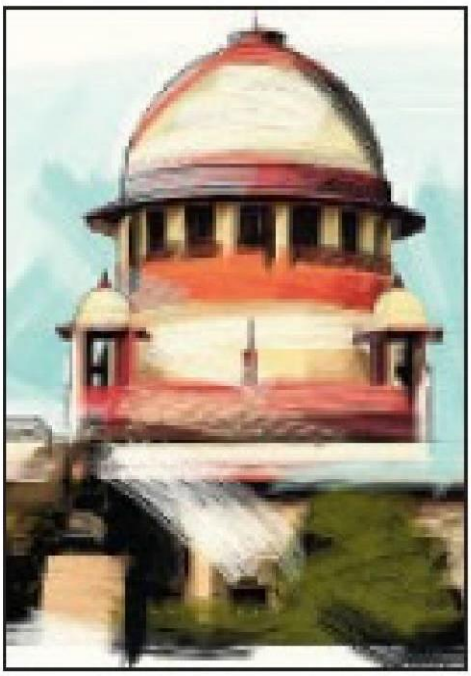

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भ्रामक करार दिया है कि आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने का केंद्र सरकार का कानून 'पक्षपातपूर्ण' है और यह टैक्स पेयर्स को दो वर्गों में बांटता है। कोर्ट ने अपने आदेश में आईटी एक्ट की धारा-139 एए की संवैधानिक वैधता को सही ठहराते हुए कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद-14 और 19 का उल्लंघन नहीं करता।

जस्टिस ए. के. सिकरी की अगुआई वाली बेंच ने कहा है कि आईटी ऐक्ट में बदलाव कर 139 एए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आईटी रिटर्न के लिए आधार की अनिवार्यता की बात है और पैन से आधार के लिंक करने का प्रावधान है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उन्हें पैन के लिए आधार देना होगा और इस बाबत आईटी एक्ट को वैध ठहराया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह ऐक्ट भूतलक्षी प्रभाव के तहत काम करेगा, यानी नए पैन बनवाने के लिए आधार नंबर देना होगा। जिन्होंने आधार कार्ड का एनरोलमेंट करा लिया है उनके लिए एक्ट लागू होगा, यानी उन्हें आईटी रिटर्न के लिए आधार देना होगा। लेकिन जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनाया है, वे अभी फ्री हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, किसी कानून की वैधता को उन लोगों की अलग श्रेणी मानकर चुनौती नहीं दी जा सकती जो कि कानून के एक खास प्रावधान को लेकर ऐतराज जता रहे हैं और उन्हीं के आधार पर इसे पक्षपातपूर्ण ठहराया जा रहा है।

जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसके दायरे में जो भी लोग आते हैं, उन्हें उसका पालन करना चाहिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि यह नागरिक का अधिकार है कि वह विधायिका में बने किसी खास कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर अदालत में पहुंच सकता है।